

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय)  
वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 05/2017

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने संविदा आधार पर नियुक्त योग्यता प्राप्त प्रोफेशनल परामर्शदाता (सामान्य) के संबंध में वर्तमान परिलब्धियों/समेकित वेतनमान में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की निम्नानुसार अनुमति दी है :-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपयों में)	संशोधित वेतनमान (रूपयों में)
1	2	3	4
1.	परामर्शदाता (सामान्य)	50,000 / -	55,000 / -

संशोधित वेतनमान की दरें 1 फरवरी 2017 से प्रभावी होंगी। उपर्युक्त कॉलम संख्या में उल्लिखित राशि पर 10 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी प्रत्येक फरवरी माह के प्रथम दिवस अर्थात् 1 फरवरी, 2017 तथा उससे आगे भी आगामी आदेशों तक जोड़ी जाएगी।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

एफ ई 5(12)/2017/डीडीए/151

दिनांक : 29/03/2017

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ,
2. सभी प्रधान आयुक्त,
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/आयुक्त (कार्मिक),
4. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I,
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक),
6. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)